मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5812

30.03.2026 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में वन क्षेत्र

5812. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त राज्य में संकटापन्न वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त राज्य में संरक्षण परियोजनाओं के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त राज्य में औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए कोई नई पहल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीनस्थ संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, द्विवार्षिक रूप से देश के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करता है और उसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। आईएसएफआर-2023 के अनुसार, महाराष्ट्र का रिकॉर्ड किया गया वन क्षेत्र 61,952 वर्ग किलोमीटर है जो महाराष्ट्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 20.13% है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 52 वन्यजीव अभयारण्य है।

(ग) से (घ) वन्यजीव प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों की जिम्मेवारी है। भारत सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वन्यजीव पर्यावासों का विकास (डीडब्ल्यूएच) और बाघ और हाथी परियोजना के तहत, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण, अति संकटग्रस्त प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति, पर्यावास सुधार, अवैध शिकार रोकने के उपाय, सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने, फायर लाइनों के रखरखाव, खरपतवार उन्मूलन, परिस्थितिकी विकास, सामुदायिक जागरूकता, क्षमता निर्माण, स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास आदि के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

महाराष्ट्र राज्य को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत संरक्षण परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

(रू. लाख में)

क्र. सं.	**सीएसएस योजना का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (वर्तमान तक)**
1	सीएसएस- वन्यजीव पर्यावास का विकास	350.38	554.69	622.06	497.72
2	सीएसएस - वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास का बाघ परियोजना घटक	809.62	2531.41	4149.70	2372.00
3	सीएसएस - बाघ और हाथी परियोजना का हाथी परियोजना घटक	28.52	83.04	27.01	13.33

मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I के तहत "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक" अधिसूचित करता है। अब तक, 79 विशिष्ट औद्योगिक पर्यावरणीय मानकों को अधिसूचित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र, जिनके लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उन पर पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची- vi के तहत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होते हैं। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति (एसपीसीबी / पीसीसी) उक्त मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। अनुपालन न करने की स्थिति में, पर्यावरणीय कानूनों के उपबंधों के तहत उद्योग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

सीपीसीबी ने सभी 17 श्रेणियों के उच्च प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों, साझा परिसंकटमय अपशिष्ट और जैवचिकित्सा अपशिष्ट भस्मकों, साम्मा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों (सीईटीपी), गंगा और यमुना बेसिन में अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई), एनसीआर-दिल्ली में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को निगरानी तंत्र को मजबूत करने और स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालन और प्रदूषण स्तर पर निरंतर निगरानी के लिए ऑनलाइन सतत् अपशिष्ट / उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है।

व्यापार अपशिष्ट के रियल टाइम पर्यावरणीय प्रदूषकों के मूल्यों और ओसीईएमएस के माध्यम से जेनरेट उत्सर्जन को 24/7 आधार पर सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी / पीसीसी को ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय सॉफ्टवेयर आंकड़ों को संसाधित करता है और प्रदूषक पैरामीटर की संख्या निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से अधिक होने पर, एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट उत्पन्न होता है और औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजा जाता है, ताकि उद्योग द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी / पीसीसी / सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

इसके अलावा, सीपीसीबी प्रदूषण की संभावना के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों / गतिविधियों को रंग कोड श्रेणियों के तहत वर्गीकृत करता है। 2025 के दौरान, सीपीसीबी ने क्षेत्रों को लाल, नारंगी, हरा, सफ़ेद और नीली श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए वर्गीकरण पद्धति को संशोधित किया है। वर्गीकरण-2025 में किसी भी क्षेत्र की इकाइयां जो पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाती हैं जैसे कि 100% स्वच्छ ईंधन / नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग आदि और निरंतर अनुपालन, उनके लिए प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन होगा और औद्योगिक प्रदूषण कम होगा।

एसपीसीबी / पीसीसी, जल अधिनियम, 1974 के अलावा वायु अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार, पूर्व सहमति (स्थापना के लिए सहमति / संचालन के लिए सहमति) प्रदान करने के लिए उद्योगों पर उत्सर्जन मानक लागू करते हैं।
